न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– रेनू मीना *आर. ए. एस.*

प्रा0 पत्र	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/1/19	02.01.2019	24.10.2019

उनवान

1. सुबा सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह
2. गुरूबक्श सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह
3. राजेन्द्र पाल सिंह उर्फ लक्खा सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह जातियान जट्सिक्ख, निवासियान ग्राम कोठीबास, बरवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..........................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ ।

..........................अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1389 रकबा 0.85, 1396 रकबा 0.73 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 1.58 हैक्ट0 वाके ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है उक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 1101 थे। ताईद में नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण व उनकी स्व0 माता महेन्द्र कौर का 1/3 हिस्सा है। जो खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की माता महेन्द्रकौर का स्वर्गवास दिनांक 04.04.2002 को हो चुका है। जिसकी ताईद में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। तथा स्व0 महेन्द्र कौर के वारिसान प्रार्थीगण ही है। उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। ताईद में नकल जमाबन्दी हाल सम्वत 2072–2076 संलग्न है। आराजी खसरा नम्बर साबिक 1101 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के 1/3 हिस्से के खातेदार प्रार्थीगण की माता महेन्द्र कौर व पिता इन्दर सिंह पुत्र नारायण सिंह थे। जिनकी जाति जट् सिक्ख जमाबन्दी सम्वत 2041 एवं 2045 में दर्ज है। किन्तु जमाबन्दी सम्वत 2058 बनाते समय प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की माता की जाति जट् सिक्ख के स्थान पर सहबन से रायसिख दर्ज कर दी गई है। जबकि प्रार्थीगण की सही जाति जट् सिक्ख है। राजस्व अभिलेख में उपरोक्त त्रुटि सहबन से हुई है, जो धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत दुरूस्ती की जा सकती है। जिस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 1389 रकबा 0.85, 1396 रकबा 0.73 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 1.58 हैक्ट0 वाके ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर के राजस्व अभिलेख में जहां जहां प्रार्थीगण, प्रार्थीगण की माता महेन्द्र कौर की

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

... प्रस्तुत है :–

1 यह कि आराजी हाल खसरा नंबर 1389 रकबा 85 ऐयर व 1396 रकबा 73 ऐयर किता 2 कुल रकबा 1.58 है0 ग्राम

जाति जट् सिक्ख के स्थान पर 'राय सिक्ख'' दर्ज की हुई है, उस इन्द्राजात को दुरूस्त करवाते हुए प्रार्थीगण व उनकी माता महेन्द्र कौर की सही व वास्तविक जाति " जट सिक्ख'' दर्ज कराई जावें और कागजातमाल में तदानुसार अमल दरामद कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की माता की जाति राजस्व रिकार्ड अनुसार जट् सिक्ख सिद्ध होती है। तो इन्द्राज शुद्ध किया जाना न्यायसंगत होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत 2041, 2045 के कॉलम सं0 4 में अन्य खातेदारान के साथ मु0 महेन्द्र कौर स्त्री नारायण सिंह कौम जट् सिख दर्ज रिकार्ड है। किन्तु जमाबन्दी सम्वत 2058 बनाते समय प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की माता की जाति जट् सिक्ख के स्थान पर सहबन से रायसिख दर्ज कर दी गई है। जबकि प्रार्थीगण की सही जाति जट् सिक्ख है। राजस्व अभिलेख में उपरोक्त त्रुटि सहबन से हुई है। अतः दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 1389 रकबा 0.85, 1396 रकबा 0.73 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 1.58 हैक्ट0 वाके ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर के राजस्व अभिलेख में जहां जहां प्रार्थीगण, प्रार्थीगण की माता महेन्द्र कौर की जाति जट् सिक्ख के स्थान पर 'राय सिक्ख'' दर्ज की हुई है, उस इन्द्राजात को दुरूस्त कर प्रार्थीगण की सही जाति जट् सिक्ख ताहाल राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेनू मीना) उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.(अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

...निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1 यह कि आराजी हाल खसरा नंबर 1389 रकबा 85 ऐयर व 1396 रकबा 73 ऐयर किता 2 कुल रकबा 1.58 है0 ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ़ जिला ...